

राजस्थान सरकार

परिवहन विभाग

25(10)

क्रमांक : प 7 (108) परि./नियम/मु0./94/ 42083

जयपुर, दिनांक 3/2/14


कार्यालय आदेश संख्या 6/2014

विषय :- कार्यालय आदेश संख्या 24/2013 में संशोधन बाबत।

विभागीय कार्यालय आदेश संख्या 24/2013 दिनांक 22.08.2013 के द्वारा राज्य के परिवहन उप कार्यालयों को चालक लाइसेंस जारी करने हेतु कोड आवंटित किये गये थे।

क्र.स.	उप परिवहन कार्यालय	कोड
1.	रेलमगर, जिला राजसमंद	RJ-30-C
2.	नावां, (डीडवाना) जिला नागौर	RJ-37-A
3.	लूणकरणसर, बीकानेर	RJ-07-B
4.	भदानी भंडी, झालावाड़	RJ-17-A
5.	देवली जिला टांक	RJ-26-C

उक्त कार्यालय आदेश संख्या 24/2013 दिनांक 22.08.2013 में आंशिक संशोधन उल्लेखित तालिका के दिन्दु संख्या 2 पर नावां डीडवाना जिला-नागौर का लाइसेंस कोड RJ-37-A के स्थान पर RJ-37-B पढा जावे।


परिवहन आयुक्त

क्रमांक : प 7 (108) परि./नियम/मु0./94/ 42084 - 42089

जयपुर, दिनांक 3/2/14

प्रतिलिपि :-

1. समस्त प्रादेशिक / अति. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी.....।
2. समस्त जिला परिवहन अधिकारी.....।
3. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण.....।
4. उप परिवहन कार्यालय.....।
5. रक्षित पत्रावली ।


उप परिवहन आयुक्त (नियम)